

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, खास्त्रय भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्ट्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SCG035067

Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

दिनांक: 28/06/19

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- जॉब अधारित पैकर्स / हेल्पर्स सेवा कार्य की ई-निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय

पत्र के साथ सलगन ई-निविदा सूचना छ: प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों में ई-निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें:-

1. राज्य स्तर का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जिसकी प्रसारण सभ्या 50,000 प्रतियाँ प्रतिदिन या अधिक हो।
2. बुहत् परिचालन वाला राष्ट्रीय स्तर का एक दैनिक समाचार पत्र।

संलग्न: ई-निविदा सूचना की प्रति एवं सी.डी. में।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

दिनांक: क्रमांक : एफ.9() /आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स / 2019-20 /

प्रतिलिपि :-

- प्रतिलिपि :—
1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निम्न की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
 2. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs/MCDWs) राजस्थान (समर्त)।
 3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, खारख्य भवन, तिलक मार्ग, सी-रक्षीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

GSTIN- 08AAFCR2824M173

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2019-20 / ५८६

दिनांक: २८/६/१९


जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 के 12 माह हेतु

निम्न द्वारा दिनांक 01.09.2019 से 31.08.2020 तक अर्थात् 12 माह हेतु जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिभित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से ई-निविदाएँ निम्न विवरणगुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिशूलि (₹)	शुल्क (₹)	ई-निविदा मीटिंग की तिथि व समय	प्रि-बिड मीटिंग की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य	280.00	5.60	2000.00	3.30 बजे 12.00 बजे	30.07.19 12.00 बजे तक	30.07.19 03.00 PM	30.07.19 05.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-निविदा वेबसाइट "www.diproonline.org", "www.diproonline.org", "rmsc.health.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिशूलि (bid security) के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 30.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-य) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए रक्केल प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिशूलि (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।


विशेषाधिकारी, आरएमएससी

ई-निविदा

जांब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु ई-निविदा सूचना
वित्तीय वर्ष 2019-20 के 12 माह हेतु

निविदा क्रमांक :	प्रि-बिड दिनांक, समय व स्थान :	एफ.90/आरएमएससी/भणडार/पैकर्स/2019-20/ दिनांक:
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	30.07.2019 समय अपराह्न 3.00 बजे तक	
RJSL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 2000.00	आरएमएससी जयपुर के पक्ष में इय
	₹ 1000.00	(आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, आरआईएसएल. प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी./बैंकर चैक उपयुक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 30.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्राप्त में वालान (प्रपत्र-य) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RJSL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, खारख्य भवन, तिलक मार्ग, सी-र्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9() / आएमएससी/भण्डार/पैकर्स / 2019-20/

कार्य की अनुमति लागत -₹ 280.00 लाख

बोली प्रतिभूति (bid security)-₹ 5.60 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिल्ड

ई-निवाइन ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- 30.07.2019

दिनांक:

समय 3.00 बजे तक
ई-निविदा प्रपत्र शुल्क-₹ 2000.00

जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य के लिए ई-निविदा :-
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम.....
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाइन, मोबाइल व ई-मेल सहित एवं पेन नम्बर
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर

5. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ 9()/आएमएससी/भण्डार/पैकर्स/हेल्पर्स/2019-20/ दिनांक.....

7. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 डिमाण्ड झेपट/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक..... RMSCL के पक्ष में देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘च’ द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की

जा सकती है। आरआईएसएल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड इपट / बैंक चैक संख्या दिनांक प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'य') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.inपर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए RISL प्रोसेसिंग फीस जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

8. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज करपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

9. ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित पैकर्स / हेल्पर्स सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित करनी है। वर्स्टु एवं सेवाकर (GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है। 10. जॉब आधारित पैकर्स / हेल्पर्स सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

11. जॉब आधारित पैकर्स / हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें वित्तीय वर्ष 2019–20 के 12 माह (01.09.2019 से 31.08.2020) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

12. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक इपट / बैंकर चैक संख्या दिनांक राशि भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'य') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.inपर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

13. ई-निविदा प्रपत्र के साथ बोलीदाता / संबेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाने हैं:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958				
	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत				
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				


14. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्रास्स) संलग्न है।

15. पूर्व में समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी चायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्राद) संलग्न है।

16. ई-निविदा की विधिमान्यता की कालावधि तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से अधिकतम 90 दिन होगी।

17. तकनीकी निविदा में Responsive निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2223060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9()/आरएमएसटी/भण्डार/पैकर्स/ 2019-20/

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

दिनांक:

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

निगम मुख्यालय, जयपुर, विभिन्न जिलों में स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs), एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (MCDWs) पर जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा हेतु ई-निविदा

1. परिचय :- राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि। राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। निगम का उद्देश्य केंद्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स इत्यादि का क्रय कर राजस्थान राज्य स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों के मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा औषधियों के क्रय हेतु मुख्यालय जयपुर से औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स इत्यादि के लिए विनिर्माता फर्मों को सीधे क्रयादेश दिए जाते हैं एवं आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा क्रयादेश की पालना में समर्त राजस्थान में स्थित 33 जिलों में स्थित निगम के 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) एवं 6 मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (MCDWs) में संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा विनिर्माता/आयातक औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है।

निगम के जिलों में स्थित DDW में जहाँ एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है एवं संबंधित DDW / MCDW द्वारा उस जिले में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी इत्यादि के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार DDW / MCDW से औषधियों सर्जिकल्ट्स/सूचर्स आदि प्राप्त किए जाते हैं।

निगम द्वारा निगम मुख्यालय एवं समर्त राज्य रिथ्ट �DDW / MCDW कार्यालयों पर जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा हेतु, सेवा प्रदाता फर्म/सोसाइटी जिन्हें इस कार्य का पूर्व में अनुमत है से निविदाएं अंमत्रित की जाती हैं। उक्तानुसार जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा ईकाई के लिए बेसिक हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान एवं पैकर्स/हेल्पर्स को औषधियों के गोदाम/मेडिकल स्टोर पर कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुमत होना अनिवार्य है। पैकर्स/हेल्पर्स सेवा (Units) की संख्या में प्रत्येक जिले पर औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स आदि के Flow के अनुसार बुद्धि/कमी की जा सकती है।

निगम मुख्यालय तथा जिला औषधि भंडार गृहों (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार गृहों (MCDWs) पर पैकर्स / हेल्पर्स सेवा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला औषधि भंडार गृह (DDW / MCDW)	पैकर्स / हेल्पर्स सेवा इकाई की कुल संख्या
1	Jaipur I	6
2	Jaipur II & MCDW	6+6=12
3	Ajmer & MCDW	6+6=12
4	Alwar	6
5	Banswara	6
6	Baran	6
7	Barmer	6
8	Bharatpur	6
9	Bhilwara	6
10	Bikaner & MCDW	6+6=12
11	Bundi	5
12	Chittorgarh	6
13	Churu	6
14	Dausa	6
15	Dholpur	5
16	Dungarpur	6
17	Ganga Nagar	6
18	Hanumangarh	6
19	Jaisalmer	4
20	Jalore	6
21	Jhalawar	5
22	Jhunjhunu	6
23	Jodhpur & MCDW	6+6=12
24	Karauli	6
25	Kota & MCDW	6+6=12
26	Nagaur	6
27	Pali	6
28	Pratapgarh	5
29	Rajsamand	5
30	S.Madhopur	6
31	Sikar	6
32	Sirohi	6
33	Tonk	6
34	Udaipur & MCDW	6+6=12
35	RMSCL HQ	30
	Total	263

2. आवेदन के लिए वार्ता पत्र

- निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विवरण तीन वर्षों (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) अथवा (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का औसत टर्न ऑवर ₹ 100.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वार्ता सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:—

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक	
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970					
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952					
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4	बरस्तु एवं सेवाकर (GST)					
5	आयकर (पैन नम्बर)					
6	राजस्थान डुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958					
	इण्डियन पार्टनरशिप एवट 1932 के अन्तर्गत अन्तर्गत या					
	इण्डियन कम्पनी एवट 1956 के अन्तर्गत अन्तर्गत या					
3.	फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम दो सरकारी विभागों/उपक्रमों में इस तरह का कार्यानुभव विवर 3 वर्षों का होना अनिवार्य है एवं उन विभागों/उपक्रमों का संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि फर्म द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों का EPF एवं ESI अंशादान समय पर जमा करा दिया गया है एवं फर्म उक्त राशि जमा करने में डिफाल्टर नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2019 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।					
4.	आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एवं E-mail ID सहित होना अनिवार्य है।					
5.	सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।					
6.	जो भी निविदादाता EPF एवं ESI का अंशदान जमा करने में डिफाल्टर रहा है उसको इस निविदा में तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा।					

3. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 डिमाण्ड ड्रेपट /बैंक खेक संख्या.....
दिनांक..... RMSCL के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय मे भौतिक रूप से
(Physically) प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप मे चालान
(प्रपत्र-'य') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम
के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code
PUNB0224600 मे जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के
समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload
की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-
deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ई-निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते
हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ
Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्रेपट /बैंक खेक
संख्यादिनांकप्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष मे देय
भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय मे प्रस्तुत
कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप मे चालान (प्रपत्र-'य') द्वारा पंजाब
नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक
खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 मे जमा करवाते हुए
स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे
तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट
rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते
हुए RISL प्रोसेसिंग फीस जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 30.07.2019 अपराह्न
03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा
सकती है।

4. कार्यों का विवरण

1. निगम मुख्यालय, जयपुर

- कार्यालय की फाईले एवं दस्तावेजों को एक शाखा /स्थान से दूसरी शाखा /स्थान
पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रूप से पहुँचाना।
- सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी।
राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य
करवाया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- गुणवत्ता शाखा के लिए विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृहों से जो
औषधियाँ /सर्जिकल्स /सूचर्स /अन्य सामग्री इत्यादि मुख्यालय जयपुर को
समय-समय पर गुणवत्ता जीव हेतु आते हैं। इन्हें सुव्यवस्थित रूप से
लोडिंग /अनलोडिंग करना।
- जिस शाखा मे उनकी सेवाएँ ली जा रही हैं। उनके अधिकारियों / कर्मचारियों के
निर्देशानुसार विभिन्न कार्य सम्पादित करना।
- सेवा इकाई की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने की स्थिति मे दूसरी सेवा इकाई 03
दिवस की अवधि मे उपलब्ध करानी होगी।

2. जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (MCDW)

परं—

1. भण्डार गृह का पूर्ण रख-रखाव।
2. औषधियों/सर्जिकल्ट्स/सूचर्स/अन्य सामग्री को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW / MCDW) के निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना।
3. औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW / MCDW) के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता होने पर लोडिंग / अनलोडिंग का कार्य करना।
4. सामान्यतः सेवा, राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस युनिशिचल करनी होगी। राजपत्रित अवकाश में भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।
5. सेवा इकाई की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में दूसरी सेवा इकाई 03 दिवस की अवधि में उपलब्ध करानी होगी।

6. ई-निविदा का खोला जाना

दिनांक 30.07.2019 को सांयः 3 बजे तक प्राप्त/Upload ई-निविदादाताओं की तकनीकी बिड दिनांक 30.07.2019 सांयः 5 बजे उपस्थिति ई-निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

7. कार्य सम्पादन प्रतिमूलि राशि

सफल निविदादाता को कार्यादिश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिमूलि को (Performance Security) जरिये डिमांड डाप्ट या बैंक पे-आर्डर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जथपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिमूलि (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिमूलि निविदादाता द्वारा कार्यादिश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

8. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रवालित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए पैकर्स सेवा इकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को प्रत्येक जिले/संभाग स्तर पर जिम्मेदारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

9. ई-निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निवेशक, आरएमएससी, जयपुर को होंगे। साथ ही स्वीकृत चूनतम दर पर एक या एक से अधिक ई-निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। अपूर्ण ई-निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएँगे। ई-निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

10. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित पैकर्स/हेल्पर्स की संख्या अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्भवित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 280.00 लाख है। निगम द्वारा ऋत्रोत पर नियमानुसार (Income tax & GST TDS) कटौती कर राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि 12 माह (01.09.2019 से 31.08.2020) के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

12. अनुबंध

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 5,000/- के नीन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यवित से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् जिला औषधि भण्डार गृह की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स/हेल्पर्स सेवा एं बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

13. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NETT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।

14. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। पैकर्स/हेल्पर्स सेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा।

14. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

15. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

16. निविदा शर्तों की स्थीकारणेति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उहौं पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं।

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लाएँ किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

17. ई-निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-निविदा एवं साविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

18. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्ता करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

19. पैकर्स/हेल्पर्स को BOQ के अनुमोदित मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो पैकर्स/हेल्पर्स की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचन का ऐसा दुर्घटनाकारी करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कृट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लागते वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या तुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ण नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवरण को प्रकट करेगा।

24. हित का विरोध –

(१) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(२) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:—

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यवितागत विनिधान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धिताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यवितागत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अंजित ज्ञान का उपयोग, या

किसी ऐसे व्यक्ति को स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्भिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुँचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—

(क) उनके समान नियक्रक भागीदार हैं।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(इ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद किन्हीं व्यवितरणों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अहंता कर्मोटी और बोली प्रकरणों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

25. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निरतारण – प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हैं।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिलित किया जाये, विनिर्दिष्ट अधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्त है,

स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तरीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अहंता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाए, भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-२) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वितीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वितीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पार्थी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपर्यांतों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तरीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से छायित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तरीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को हितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपर्यांतों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के

दाखिल करने की तरीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्ववत् अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के चिजिट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड्डचन डालेगी

या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र – र) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तितः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तरीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,


(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समर्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
26. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का साक्षात्ता एवं पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहेंगा/रहेंगे।

ई—निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

BOQ Formet

निम्न मुख्यालय जयपुर एवं विभिन्न जिलों में
स्थित DDW एवं MCDW पर जॉब आधारित पैकर्स / हेल्पर्स सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :-

वित्तीय निविदा

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ शक्ति की क्षणी	शक्तिकों को देव परिक्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान			प्रपत्र "ब"			
		निविदादाता द्वारा प्रति इकाई मजदूरी की संख्या			कुल राशि (5+6+7)			प्रपत्र "ब"			
		अनुमानित शक्तिकों की संख्या	EPF राशि रु	ESI राशि रु	कुल राशि (5+6+7)	प्रतिशत	राशि रु	GST दर प्रतिशत	कुल राशि (8+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर (3ई कुशल)	263	6110								

नोट :- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र (BOQ) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा

- निविदा निविदा मान्य नहीं होगी।
- सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 5 से 11 तक की पूर्ति स्वय को करनी होगी तथा कॉलम संख्या 5 में बेसिक राशि प्रति इकाई प्रतिमाह भरी जानी है।
- सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 8 की राशि पर ही सर्विस चार्ज की प्रतिशत राशि अंकित की जानी है। जैसे— 2%, 5% इत्यादि।

हस्ताक्षर निविदादाता

वार्षिक टर्ण ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्ण ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C, Receipts payment (Income & Expenditure A/C) की प्रमाणित प्रतियों संलग्न हैं।


क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्ण ओवर (रुशि ₹ लाखों में)
1.	2015–16	
2.	2016–17	
3.	2017–18	
	कुल टर्ण ओवर	
	औसत टर्ण ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्ण ओवर (रुशि ₹ लाखों में)
1.	2016–17	
2.	2017–18	
3.	2018–19	
	कुल टर्ण ओवर	
	औसत टर्ण ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या



ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि हमने लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा बौकलिस्ट नहीं किया गया है एवं आपूर्ति सेवा इकाईयों का EPF/ESI अंशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं है यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र य

CAUTION : USE "PCMER" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "TM"

Bank Copy

dist. NO.

punjab national bank

Branch

Institute Name

Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

Institute ID

RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit

DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit

Select any one out of - Tender Fees/RMD/SD/Tender Processing

(Ex/Other)

Mobile No.

Cash Deposit:

Demonomination	₹	PK
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Cash *		
Total		

Cheque Deposit:

Cheq No	Date of Cheq	Name of Bank	₹	PK

Total to payable ₹

Commission ₹

Total amount ₹

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

By _____

Cashier/Officer

Customer Copy

dist. NO.

punjab national bank

Branch

Institute Name

Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

Institute ID

RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit

DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit

Select any one out of - Tender Fees/RMD/SD/Tender Processing

(Ex/Other)

Mobile No.

Cash Deposit:

Demonomination	₹	PK
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Cash *		
Total		

Cheque Deposit:

Cheq No	Date of Cheq	Name of Bank	₹	PK

Total to payable ₹

Commission ₹

Total amount ₹

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

By _____

Cashier/Officer

राजस्थान

FORM NO. 1 (See rule 37 of RPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the [First/Second Appellate Authority]

1. Particulars of appellant

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

[Supported by an affidavit]

7. Place:

Place Date

Applicant's Signature